फर्द अहकाम

जगदीश बनाम हनमान

गालय

या 16/17 ए.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07/2/18	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 08/3/18 को पेश हो।	
8/3/18	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 13/4/18 को पेश हो।	
13/4/18	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 16/5/18 को पेश हो।	
16/5/18	प्रसाइडिंग आफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/6/18 को पेश हो।	
12/6/18	आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प कोटड़ा ग्राम बिगोद कलां में पेश हुई प्रार्थी मय अधिवक्ता उप० । प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली काबिले बहस ए.। हेतु लम्बित चली आ रही है। मूल वाद तकसीमा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। प्रकरण में दिनांक 07/6/17 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07/[illegible] वाद कन्फर्म [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज [illegible] से कम है तथा मूल वाद के साथ [illegible]	जगदीश

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:48:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner